

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 117/2019

निर्णय दिनांक — 10.06.2019

1. लक्ष्मीचन्द उर्फ लखमा पिता रूपा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेडा राज0 ।
2. शम्भुडी बाई उर्फ शम्भु बाई पत्नि लक्ष्मीचन्द उर्फ लखमा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेडा राज0 ।

— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. बगदीराम पिता मंगनीराम जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. घीसालाल पिता उंकार जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. गोट्टु लाल पिता ताराचन्द जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. रोशनलाल पिता फाकरू खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा राज0 ।
5. मांगीलाल पिता भग्गा जाति मालवीय आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
6. कारूलाल पिता पृथ्वीराज जाति गायरी आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
7. जगदीश पिता रामलाल जाति गायरी आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
8. छोट्टु खां पिता शमसुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
9. सागरमल पिता गोकल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
10. भंवरलाल पिता गोकल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 543 की आराजी नं0 687 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खाता संख्या 497 की आराजी नं0 1012 रकबा 1.7800 हैक्टेयर खाता संख्या 496 की आराजी नं0 678 रकबा 0.2300 हैक्टेयर आराजी नं0 1137 रकबा 1.2800 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर खाता संख्या 549 की आराजी नं.659 रकबा 0.1400 हैक्टेयर आराजी नं. 681 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 685 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 543 की आराजी नं0 687 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खाता संख्या 497 की आराजी नं0 1012 रकबा 1.7800 हैक्टेयर खाता संख्या 496 की आराजी नं0 678 रकबा 0.2300 हैक्टेयर आराजी नं0 1137 रकबा 1.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर खाता संख्या 549 की आराजी नं.659 रकबा 0.1400 हैक्टेयर आराजी नं. 681 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 685 रेबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

